13/9/22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी
उपस्थित अप्रार्थी क्र. 1 to 4 का वकालतनामा
पेश। प्रार्थी का वकालतनामा पेश।
शेष के इंतजार में पत्रावली दिनांक
20/9/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खींवसर

20/9 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित
अप्रार्थी क्र. 05 की तरफ से श्री [illegible]
वकील ने वकालतनामा पेश किया।
पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 22/9/22
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खींवसर

22/9/22
पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। जवाब
पेश किये। वकील प्रार्थी के निवेदन
पर बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु
दिनांक 29.9.22 को पेश हो।

उपख[illegible]कारी
खींव[illegible]गौर)

29.9.22
पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। आदेश का
प्र.प. [illegible] स्वीकार किया जाकर [illegible] निर्माण
[illegible] के विरुद्ध [illegible]
[illegible] पत्रावली फैसल
शुमार [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिये खत्म करने के लिये और खेतो के सीवें एवं माठों को विवाद खत्म करने के लिये इस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि भू माप मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार पूर्व सीमाज्ञान के निशानात पर पक्षकारान सहमत नहीं हुए इसलिए उक्त सीमाज्ञान एवं सींवे माठे के झगड़े को खत्म करने के लिए और रिकॉर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का अधिकार है, क्योंकि पत्थरगढी से पूर्व अपने खेत का सीमाज्ञान करवाना आवश्यक होता है जबकि अप्रार्थी संख्या 05 ने अपने खेत का सीमाज्ञान नहीं करवाया है इसलिए केवल मात्र प्रार्थी के खेत का सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी करवाई जा सकती है प्रार्थी ने पूर्व में अपने खातेदारी खेत का सीमाज्ञान करवा रखा हैं। जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 से जाहिर होता है।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, अप्रार्थीगण के जबाब प्रा.पत्र, भू माप मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 एवं बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिया जाता है कि :–

आदेश

अतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के मौजा भेड़ के खातेदारी खेत खसरा नबंर 314 की पश्चिमी सीमा जो अप्रार्थी संख्या 5 के खेत खसरा नबंर 1213/364 से लगती है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नबंर 314 का सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान कर मौके पर पत्थर गढी किये जाने का आदेश दिये जाते है।

नोटः उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की जावें। उक्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो रहन यथावत रहेगा। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

हनुमाना राम RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को सरेइजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर